राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2)विभाग

जयपुर, दिनांकः– 10 MAY 2017

कमांक प.4 (9) कृषि / ग्रुप–2 / 2009(नीति 2010)

आज्ञा

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 16 अगस्त, 2010 के द्वारा निजी मण्डी के अनुज्ञप्तिधारक को निजी मण्डी के रखरखाव एवं विकास हेतु निजी मण्डी से संग्रहित होने वाले मण्डी शुल्क की राशि मे से निजी मण्डी के अनुज्ञप्तिधारक को संदाय की जाने वाली राशि को निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः–

1. व्यवसाय प्रारंभ के प्रथम तीन वित्त वर्षो मे मण्डी शुल्क आय का 60 प्रतिशत
2. तीन वित्त वर्ष पश्चात् एवं आगामी दो वित्त वर्षो तक मण्डी शुल्क आय का 50 प्रतिशत
3. उक्तानुसार 5 वित्तीय वर्ष उपरान्त मण्डी शुल्क आय का 40 प्रतिशत

यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगे परन्तु,

राजस्थान कृषि उपज विपणी नियम 1963 के नियम 56 (बी) के तहत स्थापित प्राईवेट सब –ई – मार्केट के अनुज्ञप्तिधारक को प्राईवेट सब –ई – मार्केट में संग्रहित होने वाले मण्डी शुल्क की राशि में से 20 प्रतिशत राशि संदाय के प्रावधान इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 20 जनवरी 2012 के अनुसार पूर्ववत रहेंगे।

आज्ञा से
ह०
(दिलीप सिंह शेखावत)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1– विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
2– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, जयपुर।
3– प्रशासक, राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर ।
4– निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राज0 जयपुर।
5– रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

क्रमांकःनिकृवि / निय. / प्रा.म.या. / मं.शु. / 16–17 / 7125 – 295

दिनांक 19.05.17

उप शासन सचिव, कृषि (ग्रुप–2) विभाग, की उक्त आज्ञा कमांक प.4(9)कृषि / ग्रुप–2 / 2009(नीति 2010) जयपुर, दिनांक 10 मई, 2017 की प्रतिलिति निम्न को सूचनार्थ पृष्ठांकित प्रेषित है :–

1. क्षेत्रीय संयुक्त / उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, समस्त।
2. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, समस्त।
3. समस्त शाखा प्रभारी, कृषि विपणन मुख्यालय, जयपुर।
4. समस्त निजी मण्डी यार्ड के अनुज्ञप्तिधारक ....

प्रमाणित

o/c (बी.एल. मीना)
अति0 निदेशक,
कृषि विपणन

प्रमाणित